संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A3-44(II)/2021

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

देहरादून: दिनांक: 10 MAY 2022 ~~अप्रैल~~, 2022

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 216 के0यू0/मान्यता/सम्बद्धता/2021 दिनांक 05 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा यूनिटी लॉ कॉलेज, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर को बी0ए0एल0एल0बी0 (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम में 180 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2021-22 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :-

क्र0	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
I.	यूनिटी लॉ कॉलेज, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।	बी0ए0एल0एल0बी0(त्रिवर्षीय)	180 सीट	सत्र 2021-22

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2- विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, कार्यपरिषद की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने के निर्णय से पूर्व यू0जी0सी0/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 व शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी, ताकि अपूर्ण मानकों के कारण अध्ययनरत् विद्यार्थियों के हित प्रभावित न हों।

3- विश्वविद्यालय संस्थान में फर्नीचर की उपलब्धता मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा।

4- अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव सत्र दर सत्र के आधार पर यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 493 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-44(II)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य/प्रबन्धक, यूनिटी लॉ कॉलेज, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।